कंपनियों को जिसमें आई०डी०पी०एल०भी शामिल है, बी आई एफ आर को सौंपने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा आई डी पी एल निर्मित औषधियों के लिए निर्धारित औषधि मूल्य कच्ची सामग्री की लागत उपयोगिता लागत के बराबर भी नहीं है, और यदि हां, तो यह स्थिति कब से चल रही है ;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त स्थिति को रोकने के लिए कोई कदम उठाये हैं, यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सरकार ने चालू वित्तीय बर्ष में यह घोषणा की है कि केवल उन्हीं रुग्ण फार्मास्युटिकल इकाइयों को बी आई एफ आर को सौंपा जाएगा जिन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में लिया गया है; और

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आई०डी०पी०एल० के उत्पादन में किसी प्रकार का अवरोध कुछ औषधियों के आयात को अनिवार्य कर देगा, और यदि हां, तो ऐसी औषधियों के नाम क्या हैं, उनकी कितनी मात्रा का आयात किया जाएगा और उस पर अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) संशोधित रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अनुसार सरकारी क्षेत्र में रुग्ण औद्योगिक एककों के मामले औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) को भेजे जाने हैं।

(ख) और (ग) विनियंत्रित प्रपुंज औषधों की कीमतें औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा किए गए लागत एव तकनीकी अध्ययन के आधार पर निर्धारित संशोधित की जाती हैं। कीमतें प्रपुंज औषध-वार निर्धारित की जाती हैं न कि कंपनी-वार। कीमतें प्रमुख विनिर्माताओं की भारित औसत लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस तरह निर्धारित की गई कीमतें इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. सहित सभी विनिर्माताओं पर लागू होती हैं।

(घ) केवल निजी क्षेत्र से अधिकार में लिए गए रुग्ण भेषज एककों को बी आई एफ आर के पास भेजने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. प्रपुंज विटामिन बी–1, बी–2 का एक मात्र उत्पादक है और यह प्रपुंज विटामिन बी–6, टेट्रासाइक्लिन, फोलिक एसिड, आदि का अग्रणी उत्पादक है। संगठित क्षेत्र और लघु क्षेत्र में अनेक डाउनस्ट्रीम एकक आई डी पी एल द्वारा उत्पादित प्रपुंज औषधों पर निर्भर हैं। प्रपुंज औषधों की आवश्यकता और पूर्ति के बीच अन्तर पूरा करने के लिए एक वर्ष में 60 करोड़ रु. से 70 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर आयात करना पड़ सकता है।

Production in Durgapur and Sindri Fertilizer Plant

3763. SHRI MOHAMMED AMIN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the production in Durgapur and Sindri Fertilizer plants is much below the installed capacity;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to close down the above two factories?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a)and(b) Yes,Sir. In Durgapur unit of H.F.C. production has been much lower than the installed capacity due to design deficiency, frequent equipment break-down, power and labour problems. The production performance of Sindri unit of FCI is below the installed capacity due to equipment problems, power supply limitations, problem of liquidity, etc.

(c) No, Sir.

3764. [Transferred to the 27th March, 1992]

Hike in the Prices of Drugs

3765. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government attention has been drawn to a news item that appealed

on page 5 colums 1-3 of the 'Hindustan Times' dated 5th February, 1992 under the caption "Steep hike in prices of drugs" according to which there has been 50 to 250 percent increase in the prices of drugs during the last one year;

(b) If so, the reasons therefor; and

(c) the measures Government propose to take to provide cheap medicines to people ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN) : (a) and (b) Sir, Government has seen the news items captioned"Steep hike in prices of drugs" which appeared in the Hindustan Times dated 5-2-1992. It is not correct to say that there has been an increase of 50 % to over 250 % in the prices of drugs during the last one year. However, in a situation of rising cost of inputs particularly of imported nature corresponding increase in the prices of medicines are unavoiable if their availability is to be ensured.

(c) The prices of scheduled formulations are fixed in accordance with the provision of DPCO, 1987 as per a formula and on the basis of fixed norms and after obtaining the recommendations of the BICP which is an expert body of the Government on Industrial Costs and Prices. to the case of formulations outside price ■control, as and when any unreasonable price increase is noticed, Government intervenes to bring it to a reasonable level. This arrangement, by and large, ensure that the price increase allowed are related to actual increase in the input costs.

हरियाणा में निर्मित औषधियों के नाम

3766. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में निर्मित की जाने वाली औषधियों के नाम और उनकी मात्रा क्या है, जिनका निर्माण राज्य के विभिन्न अस्पतालों और औषधालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है और उन दवाईयों के नाम तथा उनकी मात्रा एवं लागत क्या है, जिनका वर्ष 1989, 1990 और 1991 में आयात किया गया; और

(ख) क्या सरकार आवश्यक औषधियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हरियाणा के विभिन्न औद्योगिक कस्बों में फार्मास्यूटिकल ईकाइयां स्थापित करने का विचार रखती हैं, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) हरियाणा में सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उपक्रम आई० डी०पी०एल० के अलावा हरियाणा में विभिन्न प्रकार की प्रपुंज औषधी/सूत्रयोगों के निर्माण के लिए संगठन क्षेत्र में अनेक औषध यूनिटें हैं। नई यूनिटें स्थापित करने के प्रस्तावों की औषध नीति के पैमानों स्थान संबधी नीति और औद्योगिक नीति के आधार पर अनुशंसा की जाएगी। प्रत्येक राज्य द्वारा दवाइयों के आयात को अलग से मानीटर नहीं किया जा रहा है।

नकली औषधियों के निर्माता

3767. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश में नकली औषधियां के निर्माताओं की संख्या में वृद्धि हुई है और सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने में विफल रही है, जिसके परिणामस्वरूप विगत कुछ महीनों में जहरीली शराब तथा नकली दवाइयों का सेवन करने से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और

(ख) यदि हां, तो नकली औषधियों का निर्माण करन वाली फर्मों/इकाइयों के विरूद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का राज्यवार ब्यौरा क्या है और न्यायालयों में कितने मामले लम्बित पड़े हुए हैं तथा कितने व्यक्तियों को दण्डित किया जा चुका है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन): (क) और (ख) इसका सबध स्वास्थ्य मंत्रालय से है। अपेक्षित जानकारी, जो भी उपलब्ध होगी